स्कॉर्पियो कार आगे चल रहे ट्रक में घुसी, गुजरात के पांच लोगों की मौत

बीकानेर में भारत माला रोड पर यह हादसा हुआ, कार ड्राइवर को झपकी आने के कारण दुर्घटना होने का अंदेशा

- स्कॉर्पियो कार इतनी तेज रफ्तार से जाकर ट्रक से भिड़ी की पूरी कार सिमट कर स्क्रैप के ढेर में तब्दील हो गई।
- जानकारी के अनुसार गुजरात निवासी परिजनों को सूचना दे दी गई है। ये लोग गुजरात जा रहे थे। राजस्थान में किस काम से आए थे इस बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल सकी है।

बीकानेर, 16 फरवरी (निसं)। गुजरात निवासी लोगों की स्कॉर्पियो कार शुक्रवार सवेरे भारत माला रोड से होकर गुजर रही थी और तेज रफ्तार में थी। इसी दौरान अचानक चालक को संभवत: नींद की झपकी आई और गाड़ी आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी। हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई। जिस गाड़ी में वे लोग सवार थे उस गाड़ी की हालत ऐसी हो गई जैसे स्क्रैप का ढेर हो।

हादसा इतना भयंकर था कि स्कॉर्पियो की छत उधड़ती हुई पीछे डिक्की तक जा पहुंची। पांच लोग उसमें सवार थे एक ही पल में सभी की जान चली गई। लाशें ही आपस में चिपक गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद शवों को अलग कर मुर्दाघर में रखवाया।

जानकारी के अनुसार, गुजरात निवासी परिजनों को सूचना दे दी गई है। ये लोग गुजरात की ओर जा रहे थे। राजस्थान में किस काम से आए थे इस बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल सकी है। हादसा शुक्रवार तड़के का बताया जा रहा है, जो रासीसर गांव के नजदीक हुआ।

बीकानेर जिले की नोखा पुलिस ने बताया कि, सभी लोग गंगानगर से होते हुए गुजरात की ओर जा रहे थे। स्कॉर्पियो भारत माला रोड से होकर गुजर रही थी और बेहद ही तेज रफ्तार में थी। इसी दौरान अचानक चालक को संभवत: नींद की झपकी आई और गाड़ी आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी। उसे ट्रक से अलग करने के लिए क्रेन बुलानी पड़ी। ट्रक चालक ने ही पुलिस को जानकारी दी थी। पुलिस ने बताया कि, टक्कर इतनी तेज थी कि स्कॉर्पियो कबाड़ में बदल गई। उसमें सवार गुजरात के डॉ. प्रतीक, उनकी पत्नी हेतल, गुजरात में ही कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर डॉ. पूजा, उनके पति के साथ ही प्रतीक और हेतल की 18 महीने की बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। नोखा पुलिस ने बताया कि, हादसा भयंकर था। क्रेन की मदद से कबाड़ बन चुकी गाड़ी को मौके से हटाया गया है। पांचों के शवों को मुर्दाघर में रखवाया गया है। परिवार के सदस्यों को मौत की सूचना दे दी गई है। वे लोग गुजरात से रवाना होकर बीकानेर आ रहे हैं। पुलिस ने बताया कि, भारत माला रोड पर ज्यादा यातायात नहीं रहता, इस कारण हादसे की जानकारी कुछ देरी से पुलिस को लगी। हांलाकि, सभी की मौत हो चुकी थी।

तेजस्वी यादव के कामकाज की जांच करायेंगे नीतीश

पटना, 16 फरवरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एन.डी.ए. सरकार पूर्व उप मु.मंत्री तेजस्वी यादव और आर.जे.डी. के पूर्व मंत्रियों के फैसलों की समीक्षा करेगी। तेजस्वी के अलावा पूर्व मंत्री रामानंद यादव एवं ललित यादव के मंत्री रहते किए गए कार्यों और उनके विभागीय निर्णयों की समीक्षा होगी।

समीक्षा के दायरे में पिछले 10 माह के छह विभाग स्वास्थ्य विभाग, पथ परिवहन विभाग, नगर विकास व आवास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कार्य शामिल हैं। कैबिनेट विभाग ने इन विभागों के प्रधान को इसके कार्यान्वयन का टास्क सौंपा है।

मौजूदा सरकार में ये विभाग उप मु.मंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के पास हैं। पिछले महीने शपथ लेने के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि, आर.जे.डी. के पास रहे सभी विभागों की समीक्षा की जाएगी। एनडीए सरकार भ्रष्टाचार पर नकेल कसेगी। अगर अतीत में कुछ गलत हुआ है तो उसे सुधारा जाएगा।

पेपर लीक प्रकरण में रामकृपाल मीणा की जमानत याचिका खारिज

- हाईकोर्ट ने आरोपी रामकृपाल मीणा को ई.डी. द्वारा दर्ज मनी लॉन्डरिंग केस में जमानत देने से इन्कार कर दिया।
- ई.डी. के अनुसार मीणा पर एक करोड़ 6 लाख रु. की मनी लॉन्डरिंग का आरोप है।

जयपुर, 16 फरवरी (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट पेपर लीक से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दर्ज मनी लॉन्डरिंग के मामले में आरोपी राम कृपाल मीणा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने यह आदेश आरोपी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

जमानत याचिका में आरोपी की ओर से कहा गया कि, स्पैशल ऑपरेशन ग्रुप (एस.ओ.जी.) की ओर से दर्ज मूल प्रकरण में उसे जमानत मिल चुकी है। इसके अलावा ई.डी. के पास याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई बेस साक्ष्य भी नहीं है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। इसका विरोध करते हुए केन्द्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राज दीपक रस्तोगी ने कहा कि, याचिकाकर्ता पर एक करोड़ 6 लाख रुपए की मनी लॉन्डरिंग का आरोप है। यह राशि आठ लोगों को रखने के लिए दी गई और बाद में इन लोगों ने इस रकम को उधारी दिखा दी। ई.डी. इस राशि को जब्त भी कर चुकी है। मनी लॉन्डरिंग के मामले में अदालत को जमानत देते समय यह देखना होता है कि, संबंधित व्यक्ति ने प्राथमिक रूप से भी यह अपराध नहीं किया है। इसके अलावा मनी लॉन्डरिंग का विशेष कानून है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट तय कर चुका है कि मूल केस में मिली जमानत से मनी लॉन्डरिंग का केस प्रभावित नहीं होगा। याचिकाकर्ता ने शिक्षा संकुल के सुरक्षित चेस्ट से पेपर चोरी कर उसे करोडों रुपए में बेचा। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

पवार ने सुप्रीम कोर्ट से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

खिलाफ तत्काल सुनवाई करने की मांग की जिसमें आयोग ने अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट को "असली" एन.सी.पी. के बतौर मान्यता प्रदान की है।

वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के समक्ष मामले की तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया और यह कहा कि चुनाव आयोग के पैनल के आदेश के कारण, शरद पवार को महाराष्ट्र विधानसभा में सत्र चलने के दौरान अजीत पवार के व्हिप का सामना करना पड़ेगा, यह विधानसभा सत्र 20 फरवरी से प्रारंभ होने वाला है। सिंघवी ने तर्क दिया कि पवार के नेतृत्व वाले खेमे को अभी तक किसी प्रकार का कोई पार्टी का प्रतीक चिन्ह आवंटित नहीं किया गया है।

सिंघवी ने मामले की सुनवाई के लिए 19 फरवरी तय करने का अनुरोध शीर्ष अदालत से किया क्योंकि, "यह मामला अति आवश्यक श्रेणी का है। क्योंकि चुनाव आयोग के तथाकथित आदेशानुसार शरद पवार को अजित पवार के व्हिप के अधीन रहना होगा। महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र अगले सप्ताह शुरु होगा। हमें अभी तक कोई पार्टी प्रतीक चिन्ह आवंटित नहीं किया गया है।"

भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायाधीश जे.बी. पारदीवाला व न्यायाधीश मनोज मिश्रा भी उपस्थित थे, ने कहा कि वे मामले को सुनवाई के लिए तत्काल सूचीबद्ध करने पर विचार करेंगे।

शरद पवार मुख्य चुनाव आयोग के उस निर्णय के खिलाफ पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे जिसमें आयोग ने अजित पवार गुट को "असली" एन.सी.पी. मानकर अधिकृत रुप से मान्यता प्रदान की थी तथा अजित गुट को पार्टी का प्रतीक चिन्ह उपयोग करने की इजाज़त प्रदान की थी।

एन.जी.टी. ने चम्बल रिवर फ्रंट के खिलाफ दर्ज याचिका खारिज की

- नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भोपाल बैंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा, कि चम्बल रिवर फ्रंट के निर्माण में पर्यावरण संबंधी नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ।
- ट्रिब्यूनल ने कहा कि, गुजरात इंजीनियरिंग रिसर्च की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि 'रिवर फ्रंट के निर्माण से नदी का जल प्रवाह प्रभावित नहीं हुआ है और जल प्रदूषण के कानूनी प्रावधानों का भी पालन किया गया है।

जयपुर, 16 फरवरी (का.सं.)। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भोपाल बेंच ने कोटा में चंबल रिवर फ्रंट निर्माण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अधिकरण ने कहा है कि, इसके निर्माण से पर्यावरण व जल प्रदूषण नियमों की अवहेलना नहीं हुई है। प्रकरण में पेश रिपोर्ट से स्पष्ट है कि रिवर फ्रंट के निर्माण में पर्यावरण के प्रावधानों को लेकर कोई परेशानी नहीं है और ऐसे में इस मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है। ट्रिब्यूनल ने यह आदेश द्रुपद मलिक व अन्य की याचिका पर दिए।

ट्रिब्यूनल ने कहा कि, गुजरात इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि, रिवर फ्रंट के निर्माण से नदी के पानी का प्रवाह प्रभावित नहीं हुआ है और निर्माण में जल प्रदूषण के कानूनी प्रावधानों का भी सख्ती से पालन किया गया है। इसके अलावा, सेफ्टी दीवार के निर्माण के लिए नियमानुसार एन.ओ.सी. ली गई और बैराज से नयापुरा ब्रिज की ओर बाढ़ का पानी नहीं आया है।

ऐसे में रिवर फ्रंट के निर्माण में किसी भी तरह के कानूनी प्रावधानों की अवहेलना नहीं हुई है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से आरोप लगाए गए थे कि, चंबल रिवर फ्रंट निर्माण के लिए जरूरी पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं ली गई है, इसके कारण चंबल घड़ियाल सैंक्चुअरी व अन्य जलीय जीवों का जीवन संकट में पड़ गया है। वहीं, रिवर फ्रंट निर्माण से नदी का बहाव क्षेत्र कम हो गया है, क्योंकि इसका निर्माण अवैध तरीके से वैट लैण्ड यानी बफर ज़ोन में किया गया है।

पेटीएम बैंक के ग्राहकों को मिला और 15 दिन का समय

- पेटीएम बैंक की सेवाओं को बंद करने की अवधि को 15 दिन बढ़ाकर 15 मार्च 2024 कर दी गई है, पहले पेटीएम बैंक 29 फरवरी को ही बंद होने वाला था।

नई दिल्ली, 16 फरवरी (वार्ता)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आर.बी.आई.) ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) के ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए थोड़ा और समय देने के उद्देश्य से पीपीबील की सेवाओं को बंद करने की अवधि को 15 दिन बढ़ाकर 15 मार्च 2024 कर दी है। रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि व्यापक सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि 15 मार्च, 2024 (29 फरवरी, 2024 की पूर्व निर्धारित समयसीमा से विस्तारित) के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उपकरण, वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि में कोई और जमा या क्रेडिट लेनदेन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी ब्याज, कैशबैक, पार्टनर बैंकों से स्वीप इन या रिफंड के अलावा जो कभी भी जमा किया जा सकता है। इसके ग्राहकों द्वारा बचत बैंक खाते, चालू खाते, प्रीपेड उपकरण, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि सहित अपने खातों से शेष राशि की निकासी या उपयोग की अनुमति उनके उपलब्ध शेष राशि (कोई परिवर्तन नहीं) तक बिना किसी प्रतिबंध के दी जाएगी। 15 मार्च, 2024 (29 फरवरी, 2024 की पूर्व निर्धारित समयसीमा से विस्तारित) के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उपकरण, वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि में कोई और जमा या क्रेडिट लेनदेन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी।

शंभू बॉर्डर पर तैनात एस.आई. की आँसू गैस से दम घुंटने से मौत

चंडीगढ़, 16 फरवरी। हरियाणा-पंजाब के शंभू बॉर्डर पर अंबाला शंभू बॉर्डर में तैनात जीआरपी के एस.आई (सब इंस्पैक्टर) हीरालाल की मौत हो गई। उनकी मौत की वजह आंसू गैस के गोले से दम घुटना बताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर आंदोलनरत एक बुजुर्ग किसान की मौत की भी खबर सामने आई है।

पानीपत के गांव चुलकाना निवासी एस.आई. हीरालाल की पोस्टिंग जी.आर.पी. समालखा चौकी में थी। हाल ही में इनकी ड्यूटी किसान आंदोलन के चलते अंबाला में लगाई गई थी। इस दौरान आंसू गैस के गोलों से दम घुटने से उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। मालूम हो कि आज फिर शंभू बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बन गई है। पुलिस और किसान आमने-सामने हो गए। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे।

वहीं, गुरदासपुर के किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई।

मृतक किसान की पहचान ज्ञान सिंह के रूप में हुई है। 65 वर्षीय ज्ञान सिंह गुरदासपुर जिले के चाचौकी गांव के रहने वाले थे। उन पर बैंक का 3 लाख रुपये का कर्ज था।

सोनिया के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अपने हलफनामे में 12.53 करोड़ की संपत्ति घोषित की है। सोनिया गांधी के इटली में अपने पिता की सम्पत्ति में 27 लाख रू. की हिस्सेदार हैं। इसके अतिरिक्त उनके पास 88 किलोग्राम चांदी व 1267 ग्राम सोने के आभूषण हैं। कांग्रेस नेता के पास डेरा मंडी गांव, नई दिल्ली में तीन बीघा कृषि भूमि है। उनकी आय स्रोत के रूप में सांसद वेतन, रॉयल्टी आय, पूंजीगत लाभ आदि बताए गए हैं। उनके पास कोई कार नहीं है।

भाजपा नेता ने लिखा कि, महत्वपूर्ण विवरण जैसे कि, संपत्ति की विशिष्ट "लोकेशन" नहीं दी गई हैं। यह नहीं बताया गया है कि संपत्ति रोम, फ्लोरैंस, मिलान या ट्रेंटो में है या किसी अन्य शहर में हैं, सिर्फ एक साथ जानकारी दे दी गई है। इसके साथ ही, पैतृक संपत्ति में भागीदारी का प्रतिशत नहीं बताया गया है कि यह 25 प्रतिशत है या इससे ज्यादा। सोनिया गांधी ने अपने चुनावी शपथ पत्र में बताया कि, उनके पास 90 हजार रु. की नकदी है। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के समय दायर चुनावी शपथ पत्र के अनुसार, उस समय उनकी कुल संपत्ति 11.82 करोड़ रुपये थी। जहां तक उनकी शैक्षणिक योग्यता का प्रश्न है, तो उन्होंने वर्ष 1964 में सिएना के "इंस्टिट्यूटो "सेंट टैरेसा" से अंग्रेजी और फ्रैंच में तीन वर्ष का विदेशी भाषा कोर्स पूरा किया था। वर्ष 1965 में उन्होंने केम्ब्रिज के "लैनोक्स कुक स्कूल" से अंग्रेजी में सर्टिफिकेट कोर्स किया था।

भाजपा की राष्ट्रीय परिषद की बैठक आज से

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- भारत मंडपम में होने जा रही दो दिवसीय बैठक का उद्घाटन पार्टी अध्यक्ष जे. पी. नड्डा करेंगे और समापन भाषण प्र.मंत्री मोदी देंगे।

नई दिल्ली,16 फरवरी । भारतीय जनता पार्टी "व्यापक संगठनात्मक एजेंडा" पर चर्चा करने के लिए,शनिवार से यहाँ भारत मंडपम में,भाजपा की राष्ट्रीय परिषद की दो दिवसीय बैठक हो रही है। जिसमें11500 सें अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे।

इसका उद्घाटन,पार्टी अध्यक्ष, जगत प्रकाश नड्डा करेंगे तथा समापन संबोधन,रविवार को प्रधानमंत्री मोदी देंगे। इसमें आगामी लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा होगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता, रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ,प्रधानमंत्री का भाषण और टिप्पणियां,देश भर से आने वाले पार्टी कार्यकताओं के लिए उदाहरण बन जाती हैं। पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक, हमेशा लोकसभा चुनावों सें पहले होती है। प्रतिनिधियों के लिए, विकसित भारत की अवधारणा पर एक प्रदर्शनी, आयोजन स्थल पर आयोजित की जाएगी।

कांग्रेस पार्टी के सभी बैंक खाते ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

- "चुनाव के ठीक पहले देश के प्रमुख विपक्षी दल के अकाउन्ट फ्रीज़ करने का एक ही मतलब है कि, कांग्रेस चुनाव में प्रभावी ढंग से सक्रिय न हो और इस तरह देश में एक ही पार्टी का राज चले और प्रजातंत्र खत्म हो जाये।

के खाते ही सीज़ कर दिए गए हैं। मैं न्यायपालिका से अपील करता हूं कि वह आगे आए और हमारे लोकतंत्र को एक सत्तारुढ़ पार्टी के शिकंजे से मुक्त कराए जो समूचे विपक्ष को ध्वस्त करने में व्यस्त है। मैं मीडिया से अपील करुंगा कि वह हमारा साथ दे और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर सड़कों पर उतरने जा रही है।

उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि कांग्रेस के बैंक खातों को लेकर उठाया गया सख्त कदम क्या देश में वन पार्टी सिस्टम लागू करने के लिए है और क्या अन्य सभी राजनीतिक दलों के अकाउन्ट फ्रीज़ कर दिए जाएंगे। चूंकि कांग्रेस के बैंक खाते लोकसभा चुनावों के आसन्न रहते फ्रीज़ किए गए हैं तो क्या किसी भी अन्य पार्टी देश में राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है। अखिल भारतीय आंदोलन की घोषणा करते हुए उन्होंने कहाकि कांग्रेस ने इनकम टैक्स अपीलेट ट्रायब्यूनल में एक आवेदन पहले ही प्रस्तुत कर दिया है तथा हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। कांग्रेस सांसद एवं सीनियर एडवोकेट विवेक तन्खा ट्रायब्यूनल के समक्ष उपस्थित हुए और ट्रायब्यूनल इस पर सहमत हुआ कि बुधवार को कोई सुनवाई होने से पूर्व पार्टी के बैंक खातों पर लगी पाबंदियां हटा ली जाए। कांग्रेस ने अकाउन्ट्स फ्रीज़ की कार्रवाई को ओछी व हास्यास्पद हरकत बताया है। तन्खा ने ट्रायब्यूनल को बताया कि यदि खाते फ्रीज़ रहते हैं तो कांग्रेस लोकसभा चुनावों में हिस्सा नहीं ले पाएगी।

24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

- सेमीनार में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश व कानून व लॉ की कई जानी-मानी हस्तियां भाग लेंगी।

लेकर चिन्ता व्यक्त की थी।

उक्त प्रैस कॉन्फ्रैंस को 6 साल हो चुके अब तक कई चीफ जस्टिस आए पर उक्त चिंताएं अभी भी हैं और अदालत एक संस्थान के रुप में इन मुद्दों का समाधान करने में ज्यादा कुछ नहीं कर पायी है।

न्यायिक आदेशों को लिखे जाने के बावजूद केसों को लिस्ट ना किए जाने के उदाहरण मौजूद हैं, जिससे कोर्ट रजिस्ट्री के आचरण और अधिकार पर सवाल खड़े होते हैं।

राजनीतिक रुप से संवेदनशील केसों को कथित रुप से बैंच विशेष को आवंटित करने सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है।

एन्फोर्समैन्ट डायरैक्टोरेट (ई.डी.), सैन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वैस्टिगेशन (सी.बी.आई.) और नैशनल इन्वैस्टिगेशन अथॉरिटी (एन.आई.ए.) जैसी केन्द्रीय एजेन्सियों द्वारा सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और राजनीतिक अधिकारों का मुद्दा महत्वपूर्ण बन गया है।

प्रिवैन्शन ऑफ मनी लॉण्ड्रिंग एक्ट, अनलॉफुल एक्टीविटीज़ (प्रिवैन्शन) एक्ट और नारकोटिक्स एण्ड साइकोट्रॉपिक सब्सटैंसेज़ एक्ट जैसे कानूनों के क्रूर प्रावधान केन्द्रीय जांच एजेंसियों की शक्तियों में इजाफा करते हैं जिसके कारण वे आरोपी को लम्बी अवधि तक बन्दी बनाए रख सकती हैं, कोर्ट की सुनवाईयों में दोष स्वीकारोक्ति का इस्तेमाल किया जाता है तथा आरोपी को जमानत मिलना भी मुश्किल होता है। केन्द्रीय जांच एजेन्सियों द्वारा विपक्षी पार्टियों और सरकार के आलोचकों को टारगैट करने से रोकने के लिए एक सतर्क न्यायपालिका का होना जरुरी है।

इन मुद्दों पर चर्चा के लिए 24 फरवरी को तीन सत्र आयोजित किए जाएंगे। "सुप्रीम कोर्ट जूडीशियल एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड मैनेजमैंट -इश्यूज़ एण्ड फन्सर्न्स" शीर्षक वाला पहला सत्र प्रात: 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित किया जाएगा। विधि सैन्टर फॉर लीगल पॉलिसी के सह संस्थापक आलोक प्रसन्ना इस पर प्रकाश डालेंगे।

वक्ताओं में, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन लोकुर और कुरियन जोसफ, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस अजित प्रकाश शाह, दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व जज रेखा शर्मा, इलाहबाद हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर, सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट कामिनी जायसवाल, सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा, एडवोकेट गौतम भाटिया तथा एडवोकेट एवं "कैंपेन फॉर जूडीशियल अकाउन्टेबिलिटी एण्ड रिफॉर्म्स (सी.जे.ए.आर.) के समन्वयक प्रशांत भूषण शामिल हैं।

"द सुप्रीम कोर्ट्स रीसैन्ट ट्रैण्ड ऑन केसेस इन्वॉल्विंग सिविल लिबर्टीज़ एण्ड पोलिटिकल राइट्स" शीर्षक वाला दूसरा सत्र दोपहर 2 से 5 बजे तक आयोजित होगा। इस पर आर.टी.आई. कार्यकर्ता अंजली भारद्वाज, सतर्क नागरिक संगठन और सी.जे.ए.आर. व्याख्यान देंगे।

वक्ताओं में, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ए.के. पटनायक और इंदिरा बनर्जी, नैशनल जूडीशियल एकेडमी के पूर्व निदेशक प्रो. मोहन गोपाल, सीनियर एडवोकेट त्रिदीप पायस, कपिल सिब्बल, मिहिर देसाई तथा दिल्ली हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट वारिशा फ़रासत शामिल हैं।

तीसरा एवं अंतिम सत्र संकल्पो व आगे के मार्ग पर फोकस होगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट इन्दिरा उन्नीनायर और आर.टी.आई कार्यकर्ता अमृता जौहरी अपना संबोधन देंगे।

विधायकों के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में कोई भी दस्तावेज रिकॉर्ड पर नहीं है। राठौड़ की ओर से अदालत को बताया गया कि विधायकों द्वारा दिए गए त्याग पत्रों में महिला विधायकों जैसे मंजू देवी, ममता भूपेश, गायत्री देवी, कृष्णा पूनिया, मनीषा पवार, तथा अन्य महिला विधायकों के त्याग पत्र में स्त्रीलिंग शब्दों की जगह पुलिंग शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिस पर भी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने कोई टिप्पणी या संदेह कभी भी व्यक्त नहीं किया। यहां तक कि त्याग पत्र वापस लिए जाने की भाषा भी एक जैसी है। फिर भी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के दस्तावेजों के रिकॉर्ड में इसे संदेहास्पद नहीं बताया गया।

हैरानी की बात है कि अदालत में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज यह दर्शाते हैं कि सभी 81 विधायक, जिन्होंने अपने इस्तीफे वापस लिए, उन्होंने अपने पत्रों में कहा है कि उनके द्वारा दिए गए त्याग पत्र पर उन्होंने "स्वैच्छिक रूप से हस्ताक्षर नहीं किये हैं।"

ग़ौरफरमाने योग्य है कि कई वरिष्ठ सीनियर विधायक और मंत्री जैसे शांति धारीवाल, अशोक चांदना, महेश जोशी, उदयलाल आंजना का भी यही कहना था कि उन्होंने त्याग पत्र स्वेच्छा से नहीं दिए थे। टीकाराम जूली, जो तत्कालीन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता एवं कारागार विभाग के मंत्री थे, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें विधानसभा में इस सवाल पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए कि उन पर भी किस का दबाव था कि उन्होंने अपने त्यागपत्र पर हस्ताक्षर किए? और क्या वर्तमान में भी उन पर किसी का दबाव है, जिस कारणवश उन्होंने आज तक इस विषय पर अपने मतदाताओं को कोई जानकारी नहीं दी? यह प्रकरण विधानसभा के अंदर व बाहर विधायकों पर बनाए जा रहे दबाव और प्रजातंत्र की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाता है।

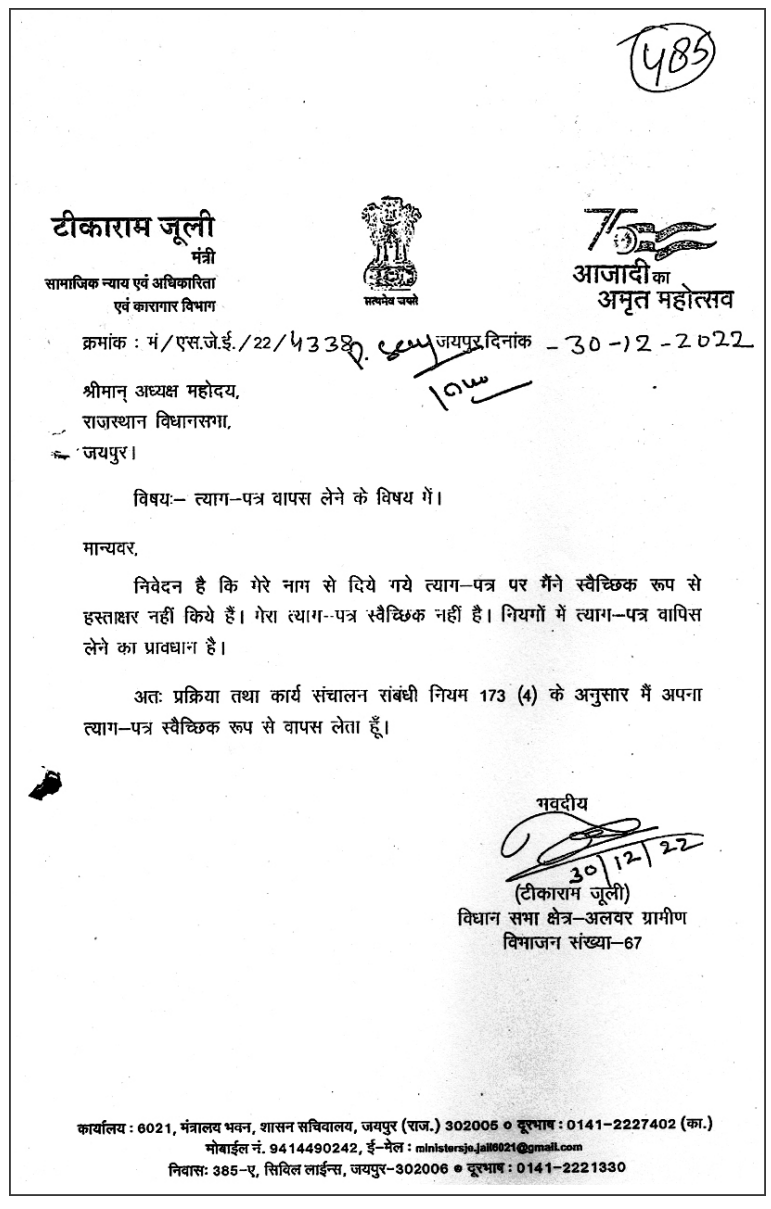

(485)

टीकाराम जूली
मंत्री
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
एवं कारागार विभाग

सत्यमेव जयते

आजादी का अमृत महोत्सव

क्रमांक : मं/एस.जे.ई./22/4338 जयपुर, दिनांक - 30-12-2022

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय,
राजस्थान विधानसभा,
जयपुर।

विषय:- त्याग-पत्र वापस लेने के विषय में।

मान्यवर,

निवेदन है कि मेरे नाम से दिये गये त्याग-पत्र पर मैंने स्वैच्छिक रूप से हस्ताक्षर नहीं किये हैं। मेरा त्याग-पत्र स्वैच्छिक नहीं है। नियमों में त्याग-पत्र वापिस लेने का प्रावधान है।

अत: प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 173 (4) के अनुसार मैं अपना त्याग-पत्र स्वैच्छिक रूप से वापस लेता हूँ।

भवदीय
30/12/22
(टीकाराम जूली)
विधान सभा क्षेत्र-अलवर ग्रामीण
विभाजन संख्या-67

कार्यालय : 6021, मंत्रालय भवन, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.) 302005 ● दूरभाष : 0141-2227402 (का.)
मोबाईल नं. 9414490242, ई-मेल : ministersje.jail6021@gmail.com
निवास: 385-ए, सिविल लाईन्स, जयपुर-302006 ● दूरभाष : 0141-2221330

तत्कालीन सामाजिक न्यायमंत्री और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली द्वारा तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष सी.पी. जोशी को अपना त्याग पत्र वापस लेने के संदर्भ में लिखा गया यह पत्र विधानसभा अध्यक्ष, वासुदेव देवनानी, की ओर से दायर जवाब के साथ अदालत में साझा किया गया है।

प्रियंका न्याय ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अन्य कांग्रेस नेताओं को शुभकामनाएं प्रेषित की हैं और उन्होंने उम्मीद जताई कि जैसे ही वे स्वस्थ होंगी वे भी शीघ्र यात्रा का हिस्सा बनेंगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकल रही यात्रा 16 फरवरी की देर शाम को उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गई।

प्रियंका ने अपने संदेश में यह तो उल्लेख नहीं किया कि वे किस अस्पताल में भर्ती हैं, परंतु कहा कि, "मैं बहुत ही उत्सुकता से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के उत्तर प्रदेश में पहुंचने का उत्साह से इंतजार कर रही थी। परंतु एक बीमारी के कारण मुझे स्वयं को शुक्रवार के दिन एक चिकित्सालय इलाज के लिए भर्ती होना पड़ा है। जैसे ही मैं अपने को स्वस्थ महसूस करूंगी शीघ्र यात्रा में शामिल हो पाऊगी।"

प्रियंका ने एक्स पर लिखी पोस्ट में कहा, "तब तक, मैं यात्रा के सभी यात्रियों के लिए शुभकामनाएं देती हूँ मेरे प्रिय भाई व मेरे उत्तर प्रदेश के सभी सहयोगी- जो पूरी लगन व तत्परता से यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, चंदौली-बनारस पहुंच रहे हैं।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मणिपुर से मुम्बई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं।

केन्द्र और किसानों के बीच बातचीत रविवार को

नई दिल्ली, 16 फरवरी (वार्ता)। एम.एस.पी. को कानूनी गारंटी देने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों के साथ केंद्र सरकार की अगले दौर की वार्ता रविवार को होगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि कल देर रात तक किसान संगठनों के साथ बातचीत चली जो बहुत ही सकारात्मक रही। उन्होंने बताया कि बैठक में ही अगली दौर की बातचीत के लिए रविवार का दिन निर्धारित किया गया है।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने प. बंगाल...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

घटना के बाद क्षेत्र के लोग अपनी शिकायते मुखर होकर बता रहे हैं। यह सारा मामला राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में है। राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों ने स्थानीय महिलाओं से बात की है। राज्य पुलिस ने महिलाओं से यौन हमले के प्रमाण मांगे हैं।

स्थानीय महिलाओं ने जवाब दिया कि "क्या ये आरोपी महिलाओं का उत्पीड़न करेंगे और बलात्कार करेंगे फिर बलात्कार की मैडिकल रिपोर्ट भी देंगे।"

उनके बच्चों का क्या होगा जब वे बड़े हो जाएंगे और तृणमूल नेताओं द्वारा इन महिलाओं के साथ बलात्कार की शिकायतें सुनेंगे।

महिलाओं ने बताया कि बलात्कार जैसे अपराध सामने लाने के लिए उन्हें भारी मशक्कत करनी पड़ी। राज्य पुलिस ने अपराधियों को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राज्य सरकार स्थानीय पुलिस के साथ मिल उन महिलाओं को धमका रही है जो मीडिया से बात कर रही है। एक मामले में तो एक महिला को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया गया है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि राज्य के इन सुदूर भागों में महिलाओं पर अत्याचार के साथ सत्तारुढ़ पार्टी के गुंडे जो दुर्व्यवहार कर रहे है उसमें राज्य सरकार दोषी है। सरकार के बयान और आरोपियों को बचाने की मुख्यमंत्री की कोशिश ने आंदोलन को और बढ़ा दिया है।तृणमूल के नेता भड़काऊ बयान दे रहे हैं, महिलाओं के साथ हुए बलात्कार, उनके शरीर को लेकर भद्दी व अश्लील टिप्पणियां कर रहे हैं।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय